कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़

क्रमांक :–रसद/अभियोजन/2026/1880 दिनांक :– 20/7/26

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जब्त सामग्री के मामलों में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2025 एवं पत्रांक 141 दिनांक 13.04.2026 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार प्रकरण संख्या 04/2025 अनवान स्टेट बनाम नेतराम में निम्नानुसार जब्त सामग्री का निस्तारण सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाना है :–

क्र. स	स्थल	समग्री व मात्रा	अनुमानित बाजार मुल्य कर सहित	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	नीलामी का समय व दिनांक
1	महादेव होटल, बिसरासर, तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ	40200 ली. पैट्रोलियम पदार्थ 01 लोहा ड्रम 24 प्लास्टिक ड्रम 04 कैनी 01 विद्युत मोटर 02 डिस्पेंसर मशीन	12 लाख	24000/–	24.07.2026 को प्रातः 11.00 बजे

नीलामी की शर्ते :–

1. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी/शर्तों के संबंध में जिला रसद अधिकारी कार्यालय हनुमानगढ में सम्पर्क में किया जा सकता है।
2. नीलामी से संबंधित योग्य सामग्री का नमूना संबंधित स्थल पर देखा जा सकता है।
3. नीलामी से सवंधित निर्धारित धरोहर राशि बोली दाता को जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ के नाम से जारी ड्राफ्ट/बैक चैक/नगद जमा करवानी होगी।
4. बोली से पूर्व बोली दाता पेट्रोलियम पदार्थ का नीलामी स्थल पर निरीक्षण कर सकता है।
5. बोली दाता स्वयं उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकेगा।
6. नीलामी आइटम जैसा है जहां है तथा जैसी स्थिति में है के आधार पर विक्रय किया जायेगा।
7. बोली दाता के पास विधि सम्मत भण्डारण अनुज्ञा पत्र होना आवश्यक है।
8. उच्चतम बोली दाता के पक्ष में बोली छुटने पर बोली दाता को कुल कीमत का 1/4 भाग राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी तथा 3/4 राशि बोली स्वीकृति के तीन दिवस मे जमा करवाकर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़

माल सुपुर्दगी पर प्राप्त करना होगा। सुपुर्दगी पत्र जारी होने के बाद तत्काल माल अपने कब्जे में लेना होगा निर्धारित समय पर राशि जमा नही करवाने पर धरोहर राशि तथा अगिम्र जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।

9. नीलामी की सूचना/जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।
10. सफल बोली दाता को केन्द्र/राज्य सरकार के नियमानुसार समस्त कर (आयकर/जीएसटी/वेट) इत्यादि जो भी हो देना होगा।
11. पेट्रोलियम पदार्थ उठाने तक का समस्त खर्चा (जहां पदार्थ पडा है) सफल बोली दाता को वहन करना होगा।
12. किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।
13. पेट्रोलियम पदार्थ खरीद के पश्चात बोली दाता उक्त पदार्थ का विधि सम्मत प्रयोग करेगा एवं प्रयोग के पश्चात End Use Certificate जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत करना होगा।
14. किसी भी वाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र, हनुमानगढ़ होगा।

जिला रसद अधिकारी
हनुमानगढ़

क्रमांक :–सम/1880
दिनांक :– 20-7-26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ।
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ।
3. श्रीमान् अति. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
4. श्रीमान् वृत्ताधिकारी नोहर।
5. श्रीमान् एनालिस्ट कम पौग्रामर, कार्यालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने हेत।
6. थानाधिकारी पल्लू।
7. अभियोजन/लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
8. नीलामी कमेटी (सदस्य)............................
9. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी
हनुमानगढ